



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 20514 वर्ष 2026

विशाल कुमार @ लाठा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : श्री मुकुल यादव, श्री राजेश यादव

प्रतिवादी पक्ष की ओर से : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन वाद अपराध संख्या 207 वर्ष 2025, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3, थाना हाथरस गेट, जनपद हाथरस के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध गैंग चार्ट में केवल दो मुकदमे दर्शाए गए हैं तथा उन दोनों मामलों में आवेदक पूर्व से ही जमानत पर है।
4. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध लोक-व्यवस्था भंग करने अथवा अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक या इसी प्रकार का अन्य लाभ प्राप्त करने संबंधी आरोप अत्यन्त सामान्य एवं अस्पष्ट हैं। यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित "गिरोह" एवं "गैंगस्टर" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी कृत्य अथवा लोप का कोई विशिष्ट आरोप आवेदक के विरुद्ध नहीं लगाया गया है, इसलिए ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट विधि-सम्मत नहीं है। वर्तमान प्रकरण की एफ.आई.आर. केवल लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर दर्ज की गई है, न कि किसी नवीन आरोप अथवा ऐसे नए तथ्यों की खोज के आधार पर जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो और जिनके निवारण के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया है।
5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने, नागरिकों को उत्पीड़ित अथवा भयभीत करने अथवा राजनीतिक या अन्य कारणों से व्यक्तिगत दुर्भावना निकालने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता।
6. यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने केवल अपने कार्यों का प्रदर्शन करने, प्रशंसा प्राप्त करने अथवा शासन अथवा सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लिया है, जो कि पूर्णतः अनुचित है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. आगे यह तर्क दिया गया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हैं कि आवेदक गैंगस्टर्स अधिनियम के अंतर्गत आरोपित अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए किसी अपराध में संलिप्त होने की संभावना भी नहीं है। यह भी आश्वासन दिया गया कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात वह कोई अपराध नहीं करेगा तथा न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा अथवा किसी भी प्रकार से गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक दिनांक 03.06.2025 से इस प्रकरण में निरुद्ध है तथा ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे यह आशंका हो कि जमानत पर रिहा होने पर वह न्यायिक प्रक्रिया से फरार हो जाएगा अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। साथ ही, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री इतनी प्रबल नहीं है जिससे यह प्रथमदृष्टया अनुमान लगाया जा सके कि आवेदक गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है।
9. इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह भी आश्वासन दिया गया कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक पूर्व से ही जमानत पर है। तथापि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक एक गिराह का सदस्य है तथा अपराध करने का अभ्यस्त है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है तथा अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी एवं भयभीत करके जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।
11. उत्तर प्रदेश गिराहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् है—

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त, यदि अभिरक्षा में है, तब तक जमानत पर अथवा अपने निजी मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(क) लोक अभियोजक को ऐसे रिहाई आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो; तथा

(ख) यदि लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, तो न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हैं कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने की संभावना नहीं है।"
12. उत्तर प्रदेश गिराहबन्द एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, गैंग चार्ट में वर्णित अपराधों की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक के आपराधिक इतिहास पर विचार किया है।
13. भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एससीसी 713 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में न केवल विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया एवं निष्पक्षता सम्मिलित है, बल्कि न्याय तक पहुँच तथा शीघ्र विचारण का अधिकार भी सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विचाराधीन बंदियों का प्रतिनिधित्व करते हुए) बनाम भारत संघ में यह भी कहा गया कि विचाराधीन बंदियों को अनिश्चितकाल तक विचारण लंबित रहने के कारण कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। सामान्यतः किसी व्यक्ति को उसके कृत्य के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए जब तक कि एक निष्पक्ष न्यायालय के समक्ष उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। यद्यपि प्रभावी विचारण सुनिश्चित करने तथा समाज के हितों की रक्षा हेतु न्यायालय को यह निर्णय करना होता है कि अभियुक्त को विचारण के दौरान जमानत पर छोड़ा जाए अथवा नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि शीघ्र विचारण संभव नहीं है तथा अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक कारावास में रह चुका है, तब सामान्यतः न्यायालय उस अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होगा।

14. उपर्युक्त तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक संवैधानिक भावना तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एससीसी 22 तथा सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, एस.एल.पी. (अप्राधिक) स.नं. 5191/2021 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. तदनुसार, यह आदेशित किया जाता है कि आवेदक विशाल कुमार @ लाठा को उपर्युक्त वाद अपराध में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक इस आशय का एक लिखित उपक्रम प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, उस दिन वह स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—(1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप निर्धारण, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत उसके कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,)

जून 22, 2026

नितेंद्र

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"